

25 1/22 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त/शुक्कार होने से जमानत तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 3-1-23 को पेश हो।

हस्ताक्षर शिंदर

3 1/23 पडावकी पेश हुई, प्राथी अधिवक्ता उपस्थित हुए, पडावकी का इक्कोकात किया गया। पडावकी के इक्कोकात अनुसूच प्रकरण में पडावकी में दिनांक 25-8-21 को इच्छाशु निषेधाज्ञा आदेश जारी किया था, तदोपरान्त दिनांक 11-9-22, 11-5-22, 20-6-22, 7-9-22 को वकील प्राथी को इच्छाशुगणों के लिये नोटीस जारी करने की हिदायत देने के उपरान्त भी वकील प्राथी Registered नोटीस जारी करने, बाद नोटीस जारी कर Registered Ad पेश करने में विफल रहे हैं, लिहाजा आज भी इस T.I. पडावकी में वकील प्राथी से नोटीस पेश करने हेतु कहे जाते हैं, आज भी तलबाना नोटीस पेश करने में विफल रहे हैं। लिहाजा पडावकी पर CPC के Rule 9 Order 5 के तहत कार्रवाई अधोनिष्ठ प्रतीत होती है।
अतः पडावकी Order 3/5 में खोज करने पडावकी यकिन दस्तावेज की जांच, नमूने से काम की जाती है।



उपस्थित अधिकारी
बसवा (दौसा)

